

हरियाणा सरकार
मत्स्य पालन विभाग

रि—सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर०ए०एस०) यूनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र का आमंत्रण ।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य में वर्ष 2020–21 में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि—सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर०ए०एस०) युनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र आंमत्रित किये जा रहे हैं । इस प्रोजैक्ट को क्रियान्वित करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों/मत्स्य किसानों से आवेदन दिनांक 10.07.2020 तक अपना आवेदन पत्र दे सकता है । विभाग द्वारा उक्त केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि—सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर०ए०एस०) में प्रदान किये जाने वाले अनुदान का मुख्य स्वरूप इस प्रकार हैः—

- इस परियोजना के तहत हरियाणा राज्य के सभी जिलों के इच्छुक प्रार्थी जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि या लम्बी अवधि के लिए रजिस्टर्ड पटटा (कम से कम 10 वर्ष) होनी चाहिए तथा 1.00 एकड़ भूमि उपलब्ध हो तो भारत सरकार की दिषार्निंदेषानुसार/मापदण्डो(Guidelines) के अनुसार रि—सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आर०ए०एस०) की यूनिट का निर्माण, खाद खुराक इत्यादि कि कुल लागत 50.00 लाख पर 40 प्रतिष्ठत की दर से अनुदान सामान्य वर्ग को व 60 प्रतिष्ठत की दर से अनुदान कमजोर वर्ग जैसे महिला/अनुसूचित जाति/जन—जाति/सहकारी समीति को दिया जायेगा तथा ऐष बकाया धनराषि प्रार्थी स्वयं/बैक द्वारा ऋण लेकर वहन करेगा ।
- प्रार्थी को केवल एक यूनिट (Minimum 8 tanks, minimum size of each tanks 7.65X7.65X1.5m (90 m³ each); minimum production capacity of 5 tonne fish per tank).
- उक्त प्रोजैक्ट हेतु प्रार्थी की न्यूनतम आयु 21 व अधिकतम आयु 60 वर्ष से अधिक न हो ।

- प्रार्थी द्वारा विभाग के नियम एवं शर्तों की अनुपालन में एक शपथ पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
- प्रार्थी का चयन प्रौजेक्ट के मापदण्ड एवं नियमानुसार प्राप्त अकों के आधार पर किया जायेगा ।
- वरियता उन प्रार्थी को दी जायेगी जो 10 वीं पास होंगे ।
- प्रार्थी को मत्स्य पालन के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।
- परिवार के केवल एक व्यक्ति को ही इस प्रौजेक्ट के अन्तर्गत लाभ प्रदान किया जायेगा ।
- इस प्रौजेक्ट के अन्तर्गत प्रशिक्षण व एक्सपोजर विजिट अनुदान हेतु अनिवार्य है ।
- जिस भी मत्स्य पालक द्वारा पूर्व में ही आर0ए0एस0 की स्थापना करके उत्पादन किया गया है। उस प्रार्थी को 20 अंक बोनस के रूप में प्रदान किए जाएंगे ।
- प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित मत्स्य अधिकारी व जिला मत्स्य अधिकारी को अपना आवेदन पत्र जमा करवाना होगा ।
- राजस्व विभाग से प्राप्त जमीन के दस्तावेज, Clear Title मे दर्शाया जाना चाहिए ।

Weightage of marks for selection of RAS unit is as follow

| Sr. No. | Criteria | | Weightage in marks |
|---------|--|-----------------------|--------------------|
| 1 | Qualification | 10 th | 25 |
| 2 | Experience in Fisheries Production | 3 years and above. | 45 |
| 3 | For innovative activities in fisheries prize holder | State Level and above | 10 |
| 4 | Fish processing facility/Hatchery available | | 20 |
| | | Total | 100 |

वर्ष 2020–21 मे हरियाणा राज्य मे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत नीली क्रान्ति के अन्तर्गत रि-सर्कुलेटरी एक्वाकल्वर सिस्टम (आर०ए०एस०) युनिट के अनुदान हेतु आवेदन पत्र

आवेदक का
फोटो

| | | |
|----|--|--|
| 1 | आवेदक का नाम | |
| 2 | पिता /पति का नाम | |
| 3 | स्थाई पता: (राषन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस इत्यादि सहित) | |
| 4 | आवेदक की आयु | |
| 5 | भूमि का विवरण: | |
| क | भूमि की मलकियत फर्द/ जमाबंदी सहित । | |
| ख | पट्टे पर ली गई भूमि के दस्तावेज/ रसीद | |
| 6 | स्थान जहां आर०ए०एस० यूनिट स्थापित किया जायेगा | |
| क | गांव का नाम | |
| ख | स्थान का नाम | |
| ग | स्थान का किला न० | |
| घ | स्थान का क्षेत्रफल (एकड़ मे) | |
| 7 | पूर्जी निवेष का स्त्रोत : | |
| क | बैंक लोन | |
| ख | स्वंय निवेष (वाषिक आयकर विवरण सहित) | |
| 8 | षैक्षणिक योग्यता अनुभव सहित (सम्बन्धित जिले के उपनिदेशक मत्स्य द्वारा सत्यापित दस्तावेज) | |
| 9 | आवेदक द्वारा यह षपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि विभाग के षर्ते एवं दिषा निर्देषानुसार उक्त परियोजना का कार्य 10 वर्षों तक करेगा तथा 60 प्रतिष्ठत धनराषि स्वयं/ऋण द्वारा वहन करेगा । | |
| 10 | मत्स्य पालन के क्षेत्र मे नई गतिविधियो मे पुरस्कार | |

| | | |
|----|---|--|
| | धारक (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो विवरण बताएँ । | |
| 11 | मत्स्य प्रसंस्करण सुविधा/ हैचरी उपलब्ध (हॉ / नहीं) यदि हॉ तो विवरण बताएँ । | |

* आवेदन के समय प्रार्थी अपने सभी दस्तावेज की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करे व मूल दस्तावेज सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय मे सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें ।

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

मत्स्य अधिकारी

जिला मत्स्य अधिकारी

नोट :- अधिक जानकारी हेतु मण्डल स्तर पर उपनिदेषक मत्स्य एवं जिला स्तर पर सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं । प्रोजैक्ट रि-सर्कुलेटरी एकवाकल्वर सिस्टम (आर०ए०एस०) यूनिट के अनुदान से सम्बन्धित जानकारी विभागीय वैबसाईट www.harfish.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

निदेषक मत्स्य पालन हरियाणा,
बेज नं० 31-32, सैकटर- 4
पंचकूला ।